(P) "सरकारी कार्य हेतु"

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर, सहारनपुर।

निर्णीत दिनांक 22.08.14

T201409600014300

वाद संख्या 105/13–14 धारा–143 ज0वि0 अधिनियम।

सावित्री बाई फूले राजकीय कन्या

पोलीटेकनिक सहारनपुर बनाम सरकार

ग्रामः–कुम्हारहेडा परगना व तहसील व जिला सहारनपुर।

नकल आदेश दिनांक 22.08.14

प्रश्नगत वाद में प्रधानाचार्य,सावित्री बाई फूले राजकीय महिला पोलीटेकनिक कुम्हारहेडा,सहारनपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनॉकी 27.06.2014 में उल्लेखित तथ्यों की जॉच तहसीलदार सहारनपुर से कराई गई। तहसीलदार सदर, सहारनपुर द्वारा दिनांक 14.07.2014 को आख्या प्रस्तुत की गयी है कि **ग्राम कुम्हारहेडा परगना व तहसील व जिला सहारनपुर के खाता संख्या 119 खसरा नम्बर 77म/0.077, 78म/0.134, 88म/0.050, 89म/0.150, 87म/0.176, 83म/0.599, 82म/0.404, 78म/ 0.212, 79/0.041, 80/0.072, 81/0.492, 84/0.430, 85/0.020, 86/0.123, 88/0.210, 89/0.100 कुल 16 किते रकबई 3.290 है0 पर सावित्री बाई फूले राजकीय कन्या पोलिटेक्निक सहारनपुर द्वारा महामहिम राज्यपाल एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन** का नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। वर्तमान में उक्त नम्बरान में कृषि कार्य नहीं हो रहा है बल्कि स्थल पर राजकीय महिला पोलिटेक्निकल भवन बना है। तहसीलदार, सदर, सहारनपुर द्वारा भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है।

उ0प्र0ज0वि0 अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत कृषि भूमि का भू–उपयोग परिवर्तित होने पर उप जिलाधिकारी द्वारा अभियान चलाकर स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने के सम्बन्ध में सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 अनुभाग–5 लखनऊ के परिपत्र संख्या 8164/5–49ए/03 दिनांक 28.01.2004 एंव तत्क्रम में महानिरीक्षक, निबन्धक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या 2336 दिनांक 08.03.2007 व उक्त के कम में आयुक्त, स्टाम्प, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा अपने परिपत्र संख्या–1656–1779/स्टाम्प–327(जे) दिनांक 22.02.12 के अनुपालन में उक्त रिपोर्ट का परीक्षण किया गया। तहसीलदार, सदर, सहानपुर की आख्या से सुस्पष्ट है कि विवादित नम्बरान में कृषि कार्य नहीं हो रहा है बल्कि स्थल पर राजकीय महिला पोलिटेक्निकल भवन बना है। अतः तहसीलदार, सदर, सहारनपुर की आख्या दिनांकी 14.07.2014 स्वीकार की जाती है **ग्राम कुम्हारहेडा परगना व तहसील व जिला सहारनपुर के खाता संख्या 119 खसरा नम्बर 77म/0.077, 78म/0.134, 88म/0.050, 89म/0.150, 87म/0.176, 83म/0.599, 82म/0.404, 78म/ 0.212, 79/0.041, 80/0.072, 81/0.492, 84/0.430, 85/0.020, 86/0.123, 88/0.210, 89/0.100 कुल 16 किते रकबई 3.290 है0 पर सावित्री बाई फूले राजकीय कन्या पोलिटेक्निक सहारनपुर द्वारा महामहिम राज्यपाल एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन** का नाम से लगान रूपये 136.45 पैसे समाप्त करते हुये भूमि अकृषिक उद्घघोषित की जाती है। तद्नुसार आदेश की एक प्रति तहसीलदार, सदर को इस निर्देश के साथ कि वह राजस्व अभिलेखों में उक्त आदेश का अमलदरामद कराना सुनिश्चित करें। आदेश की एक प्रति ए0आई0जी0 स्टाम्प को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायें। पत्रावली बाद आवश्यक पूर्ति अभिलेखागार संचित होवे।

दिनांकः

22.8.14

उप जिलाधिकारी,
सदर,सहारनपुर।

छायाप्रति प्रमाणित

प्रधानाचार्य
सावित्री बाई फुले
राजकीय महिला पोलीटेकनिक
कुम्हारहेड़ा (सहारनपुर)

सत्य प्रतिलिपि
03/09/14
रीडर
न्यायालय परगना मैजिस्ट्रेट
सहारनपुर

प्रार्थना पत्र नं० 98
प्रार्थना पत्र देने की तिथि 29.08.14
नकल तैयार करने की तिथि 03.09.14
नकल देने की तिथि 03.09.14
सरकारी कार्य हेतु